भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 5011
31 मार्च, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मिजोरम में जोरम मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण

5011. श्री सी. लालरोसांगा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की मिजोरम में जोरम मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो मामले में की गई कार्रवाई की प्रगति क्या है; और

(ग) मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण की अद्यतन स्थिति क्या है?

<u>उत्तर</u>
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ग): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अल्पसेवित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों, जहां कोई मौजूदा सरकारी अथवा निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है, को प्राथमिकता देकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधि साझेदारी के साथ पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में और अन्य के लिए 60:40 के अनुपात के साथ "मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना" हेतु केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) का संचालन करता है। स्कीम के तहत, तीन चरणों में 157 मेडिकल कॉलेजों को अनुमोदित किया गया है जिसमें मिजोरम राज्य में 01 मेडिकल अर्थात जोरम मेडिकल कॉलेज, फालक्वन, मिजोरम शामिल में शामिल हैं। उपर्युक्त योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण का कोई प्रावधान नहीं है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि की है और उसके बाद एमबीबीएस सीटों में वृद्धि की है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या वर्ष 2014 से पहले 387 थी जो 71% की वृद्धि के साथ अब 660 हो गई है। इसके अलावा, एमबीबीएस सीटें जो 2014 से पहले 51348 थीं, उनमें 97% की वृद्धि हुई है और अब तक ये 1,01,043 हो गई हैं, पीजी सीटें जो 2014 से पहले 31,185 थीं उनमें 110% की वृद्धि हुई है जो अब 65,335 हो गई हैं, जिसमें डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (डीएनबी)/फैलोशिप ऑफ नेशनल बोर्ड (एफएनबी) पीजी सीटें और कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन (सीपीएस) की पीजी सीटें शामिल हैं।

******